[redacted]

संख्या–724/79–5–2006–43/06

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बे0),
उ0प्र0, निशातगंज,
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2006

विषयः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षण की प्रवीणता रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में उर्दू विषय में प्रवीणता रखने वाले सहायक अध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत सहायक अध्यापक के बड़ी संख्या में रिक्त पदों में से 5000 पदों को व्यावर्तित करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त पदों हेतु स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को दो वर्षीय बी.टी.सी. उर्दू के विशेष प्रशिक्षण के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार जनपदवार रिक्तियों/पदों का विवरण/सूची संलग्न है।

2. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

1– चयन समिति का गठन–

प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदवार चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होगें तथा डायट के प्राचार्य, सदस्य सचिव होगें। जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयन से संबंधित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

2– शैक्षिक अर्हता–

जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा जनपद के दो प्रमुख समाचार–पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थियों से आवदेन–पत्र मांगे जायेंगे जिन्होंने–

(अ) हाई स्कूल एवं इण्टर की दोनों परीक्षाओं में उर्दू विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अथवा,

(ब) ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु अर्ह होंगे जिन्होंने हाई स्कूल, एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही पृथक से उर्दू विषय से उक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो, अथवा,

(स) उर्दू प्रवीणता के संबंध में ऐसे अभ्यर्थियों से भी आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे जिन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के साथ पृथक से माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित प्रवीणता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण की हो (उदाहरणार्थ जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब एवं अदीब–ए– माहिर जो कमशः हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर के एक विषय उर्दू की समकक्षता मान्य है) ।

3– <u>अधिवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता</u>–

शासनादेश संख्या–750/15–(2)/98–1499(77)/97टी0सी0, दिनांक 19 मई, 1998 के प्राविधानानुसार, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होगें जो उसी जनपद के निवासी हो, जहॉ प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहे हों। यह जनपद का अधिवास प्रमाण–पत्र चयन होने के उपरान्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

4– <u>निर्धारित शुल्क</u>–

बी0टी0सी0 उर्दू के द्विवर्षीय विशेष प्रशिक्षण हेतु आवेदन शुल्क रू 50/– होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए यह शुल्क रू. 20/– होगा। उक्त शुल्क सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगा।

5– <u>अभ्यर्थियों से आमंत्रित आवेदन</u>–

अभ्यर्थियों से आमंत्रित आवेदन–पत्र के निर्धारित प्रारूप में ही समस्त आवश्यक सूचनाएं मांगी जायेगी । उक्त प्रारूप में अभ्यर्थियों की ओर से अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह घोषणा शपथ–पत्र के रूप में प्राप्त किया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी की ओर से यह अन्डरटेकिंग दी जायेगी कि यदि अंकित विवरण असत्य पाये जायेंगे तो न केवल उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

आवदेनकर्ताओं को यह भी घोषणा आवेदन–पत्र में करनी होगी कि जो विवरण उन्होंने आवेदन पत्र में अंकित किये हैं उनसे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र/अंक पत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व उनके पास उपलब्ध हैं। आवेदन–पत्र प्रेषित करने के दिनांक के बाद के निर्गत प्रमाण–पत्र/अंक पत्र मान्य न होंगे।

7– <u>निर्धारित आयु</u>–

बी0टी0सी0 उर्दू के द्विवर्षीय विशेष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2005 को न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों एवं भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा विकलागों की स्थिति में आयु सीमा में नियमानुसार

शिथिलता प्रदान की जाएगी । अक्षम/विकलांग अभ्यर्थियों के बारे में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।

8– चयन का मानदंड–

(1) जनपदवार आवंटित/उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत महिलाओं एवं 50 प्रतिशत पुरूषों का चयन किया जायेगा ।

(2) प्रशिक्षणार्थियों/अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर जनपद स्तरीय श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

(3) चयनित होने वाले अभ्यार्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नानुसार तैयार की जायेगी:–

अ– गुणांकों का निर्धारण हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाय।

ब– अदीब एवं अदीब–ए–माहिर उपाधि को क्रमशः हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में एक विषय उर्दू के समकक्ष मानते हुए इन उपाधियों को केवल प्रवीणता के रूप में ग्राह्य किया जाय।

स– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक की अर्हता प्राप्त न की हो और इनके स्थान पर केवल अदीब, अदीब–ए–माहिर एवं अदीब–ए–कामिल की उपाधि प्राप्त की हो, उनके अभ्यर्थन पर विचार न किया जाय।

द– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही एक विषय उर्दू से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है अथवा इनके स्थान पर अदीब एवं अदीब–ए–माहिर की उपाधि प्राप्त की गयी है, तो ऐसे अभ्यर्थी के मामले में उर्दू विषय के प्राप्तांक अथवा अदीब एवं अदीब–ए–माहिर की परीक्षा के प्राप्तांकों का गुणांकों के निर्धारण में उपयोग नहीं किया जायेगा अपितु इन अर्हताओं की ग्राह्यता केवल प्रवीणता के रूप में होगी।

(4) उपरोक्तानुसार अनन्तिम रूप से तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की संबंधित संस्था से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त अन्तिम चयनित सूची जारी की जाएगी।

(5) अभ्यर्थियों द्वारा द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त इनकी परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जायेगा।

9–आरक्षण–

अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जातियों/वर्गों को अनुमन्य आरक्षण देय होगा यथा –

(अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण हेतु प्रदेश शासन की नीति के अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

(ब) विकलांगों का 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का 2 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों का 5 प्रतिशत कोटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 1999 के अनुसार होगा। इन आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिससे वे सम्बन्धित हैं।

10– मानदेय–

प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट के प्रति बी0टी0सी0 उर्दू के द्विवर्षीय विशेष प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में रु. 2500/– की छात्रवृत्ति (स्टाईपेण्ड) प्रतिमाह देय होगी।

3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ द्वारा (I) विज्ञापन का प्रारूप (II) चयन के सम्बन्ध में समय–सारिणी (III) चेक–लिस्ट (IV) अभ्यर्थियों से मांगे जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप आदि का निर्धारण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपने स्तर से सभी सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. कृपया उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाये।

भवदीय,

18/3/06

(जे0एस0दीपक)
सचिव।

संख्या–724(1)/79–5–2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
4. निदेशक, उर्दू, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
8. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
9. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
11. रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें उ0प्र0 इलाहाबाद।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11/नियोजन अनुभाग–4।

आज्ञा से,

शासनादेश संख्या-724/79-5-2006-43/2006, दिनांक मार्च, 2006 का संलग्नक ।

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जनपद वार प्रस्तावित पद	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जनपद वार प्रस्तावित पद
1	2	4	1	2	4
मेरठ	मेरठ	125	आगरा	आगरा	40
	बागपत	95		फिरोजाबाद	40
	बुलन्दशहर	125		मैनपुरी	40
	गाजियाबाद	125		अलीगढ़	125
	गौतमबुद्धनगर	40		एटा	40
	योग	510		हाथरस	40
बरेली	बरेली	125		मथुरा	40
	बदायूं	125		योग	365
	पीलीभीत	125	इलाहाबाद	इलाहाबाद	125
	शाहजहांपुर	125		फतेहपुर	40
	योग	500		प्रतापगढ़	40
वाराणसी	वाराणसी	40		कौशाम्बी	40
	चन्दौली	40		योग	245
	गाजीपुर	40	मिर्जापुर	मिर्जापुर	40
	जौनपुर	40		सोनभद्र	40
	योग	160		संतरविदासनगर	40
लखनऊ	लखनऊ	125		योग	120
	हरदोई	40	गोरखपुर	गोरखपुर	40
	सीतापुर	125		देवरिया	125
	रायबरेली	40		कुशीनगर	95
	उन्नाव	40		महराजगंज	40
	लखीमपुर	40		योग	300
	योग	410	झांसी	झांसी	40
बस्ती	बस्ती	40		ललितपुर	40
	संतकबीरनगर	40		जालौन	40
	सिद्धार्थनगर	125		हमीरपुर	40
	योग	205		योग	160

चित्रकूट	चित्रकूट	40		फैजाबाद	फैजाबाद	40
	बांदा	40			बाराबंकी	125
	महोबा	40			सुल्तानपुर	40
	योग	120			अम्बेडकरनगर	40
देवीपाटन	गोण्डा	95			योग	245
	बलरामपुर	125		मुरादाबाद	मुरादाबाद	125
	बहराइच	125			रामपुर	125
	श्रावस्ती	40			बिजनौर	125
	योग	385			ज्योतिबाफूलेनगर	95
कानपुर	कानपुरनगर	40			योग	470
	कानपुरदेहात	40		आजमगढ़	आजमगढ़	125
	इटावा	95			बलिया	40
	औरैया	40			मऊ	95
	फर्रुखाबाद	40			योग	260
	कन्नौज	40		सहारनपुर	सहारनपुर	125
	योग	295			मुजफ्फरनगर	125
					योग	250

19/1/06

(जे०एस० दीपक)

सचिव

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सुमेरपुर (हमीरपुर) उ.प्र.

शासनादेश संख्या-724/79-5-2006-43/06 दिनांक 18.3.2006 द्वारा प्रदत्त अनुमन्यतानुसार उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू विषय में प्रवीणता रखने वाले सहायक अध्यापकों के लिए संभावित रिक्तियां 40 जिनकी संख्या घट-बढ़ सकती है, के प्रति स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से दो वर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण, 2006 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से ही इस प्रकार भेजें कि उनका आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 27.4.06 तक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सुमेरपुर, (हमीरपुर) को अवश्य प्राप्त होना अनिवार्य है। डाकघर के विलम्ब के कारण उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. शैक्षिक योग्यता-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त वि.वि./महाविद्यालयों से स्नातक उपाधिधारी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य परीक्षा बोर्ड/संस्था से हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, आवेदन करने के पात्र होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त वि.वि./महाविद्यालयों से स्नातक उपाधिधारी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य परीक्षा बोर्ड/संस्था से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा बिना उर्दू विषय के उत्तीर्ण की हो और उसके साथ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य परीक्षा बोर्ड/संस्था से हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में उर्दू की परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में उर्दू की परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के साथ उर्दू प्रवीणता संबंधी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. अथवा उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित प्रवीणता से संबंधित परीक्षा (हाईस्कूल स्तर पर अदीब तथा इंटरमीडिएट स्तर पर अदीब-ए-माहिर परीक्षा, जामिया उर्दू अलीगढ़ से) उत्तीर्ण की हो, भी आवेदन कर सकते हैं।
2. आयु सीमा-दो वर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण 2006 हेतु अभ्यर्थी की आयु 01-07-2005 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) के लिए आयु सीमा नियमानुसार शिथिलनीय होगी। विकलांग अभ्यर्थियों के संबंध में आयु सीमा 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।
3. अधिवास-सभी आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों को जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है। गृह जनपद का निवास प्रमाण पत्र चयन के उपरान्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
4. आरक्षण-अभ्यर्थियों के चयन में चयन तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जातियों/वर्गों को देय आरक्षण अनुमन्य होगा।
5. चयन का मानदण्ड-प्रकाशित आवेदन पत्र के क्रमांक 10 में अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के कुल योग के आधार पर आरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए श्रेष्ठता सूची 50 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत पुरुष हेतु तैयार की जायेगी। आवेदन पत्र के क्रमांक-11 तथा क्रमांक-12 में उल्लिखित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अतिरिक्त विषय उर्दू अथवा उर्दू प्रवीणता संबंधी परीक्षा के प्राप्तांकों का गुणांक निर्धारण में प्रयोग नहीं किया जायेगा। इन अर्हताओं की उपयोगिता केवल प्रवीणता के रूप में होगी।
6. आवेदन शुल्क-दो वर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण-2006 हेतु आवेदन शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रु. 50 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रु. 20 होगा। उक्त शुल्क प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जनपद हमीरपुर के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगा। निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न न होने की स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
7. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) आवेदनपत्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से अंतिम निर्धारित तिथि 27.4.06 तक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सुमेरपुर (हमीरपुर) में प्राप्त होना अनिवार्य है।

(ii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही आवेदनपत्र दिया जाएगा। एक से अधिक की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के समस्त आवेदनपत्र निरस्त माने जाएंगे। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदनपत्र भेजा जाए। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदनपत्र होने पर समस्त आवेदनपत्र निरस्त माने जाएंगे।

(iii) लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से 'दो वर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण-2006 तथा गृह जनपद का नाम' अनिवार्यतः अंकित किया जाए।

(iv) आवेदनपत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केप कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है। अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/स्वहस्ताक्षरित फोटोरहित/साधारण डाक से प्राप्त/निर्धारित प्रारूप से भिन्न आवेदनपत्र तथा निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट रहित आवेदनपत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

(v) क्रमांक 7-लिंग कोड, क्रमांक 8-जाति कोड तथा क्रमांक 9 विशेष आरक्षण कोड के सम्मुख बने खानों में संबंधित कोड का उल्लेख करें। जो सूचना अभ्यर्थी से संबंधित न हो, उसे काटते हुए 'x' चिह्न अंकित किया जाए। संबंधित खाने में कोड अंकित न किए जाने पर अथवा कोड के स्थान पर टिक करने या अन्य कोई निशान अंकित करने पर जाति अथवा विशेष आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदनपत्र के क्रमांक 11/क्रमांक 12 संबंधित न होने पर काट दिया जाए।

(vi) आवेदनपत्र में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपनी हाल में खींची हुई स्वच्छ स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करनी अनिवार्य है।

(vii) आवेदनपत्र के साथ केवल निर्धारित शुल्क के रूप में देय बैंक ड्राफ्ट ही संलग्न किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अंकपत्र/प्रमाणपत्र आदि संलग्न नहीं किया जाएगा।

(viii) आवेदनकर्ताओं को यह भी घोषणा आवेदन में करनी होगी कि जो विवरण उन्होंने आवेदनपत्र में अंकित किए हैं, उनसे संबंधित मूल प्रमाणपत्र/अंकपत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व उनके पास उपलब्ध हैं। आवेदनपत्र प्रेषित करने की तिथि के बाद के निर्गत प्रमाणपत्र/अंकपत्र मान्य नहीं होंगे।

(ix) आवेदनपत्र में अंकित घोषणा के अनुसार जांच के समय अभिलेख सत्य पाए जाने पर ही दो वर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। कोई भी अभिलेख असत्य पाए जाने अथवा प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

(x) विशिष्ट आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र तथा गृह जनपद का अधिवास प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा।

(xi) विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित आवेदनपत्र के प्रारूप में कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन अमान्य होगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा। आवेदनपत्र में उल्लिखित सूचनाएं ही चयन का आधार हैं। बाद में इनमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। अतः सभी सूचनाएं निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से स्पष्ट अंकित की जाएं। आवेदनपत्र में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी।

(xii) संबंधित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित आवेदनपत्र, आवेदनपत्र प्रेषण की रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट की रसीद एवं संलग्न बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आगामी पत्र व्यवहार हेतु आवेदक द्वारा अनिवार्यतः अपने पास सुरक्षित रखी जाए।

आवेदनपत्र का प्रारूप निम्नवत है।

रामआसरे
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सुमेरपुर (हमीरपुर)

रखी जाय।
आवेदनपत्र का प्रारूप निम्नवत है।

रामआसरे
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सुमेरपुर (हमीरपुर)

दो वर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र

(आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ-साफ भरा जाय। कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार लिखी जाए। क्रमांक 7, 8 तथा 9 में संबंधित कोड सामने ब्लाक में उल्लिखित किया जाय।)

(क्रमांक-10, 11 एवं 12 में जो संबंधित हो वही भरा जाए। शेष असंबंधित को काट दिया जाए।)

1. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में)..
अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित फोटो चिपकाई जाए। हस्ताक्षर इस प्रकार से किए जाएं कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा आवेदन पत्र पर हो।

2. पिता का नाम (हिन्दी में)..
3. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)..
4. गृह जनपद का नाम..
5. पत्र व्यवहार का पता..
6. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित)........................ मोबाइल नं....................
7. लिंग कोड..
(महिला-1, पुरुष-2)
8. जाति आरक्षण कोड..
(सामान्य वर्ग-1, अनुसूचित जाति-2, अनुसूचित जनजाति-3, अन्य पिछड़ी जाति-4)
9. विशेष आरक्षण कोड..
(विकलांग दृष्टिबाधित-5, विकलांग श्रवणहास-6, विकलांग चलन क्रिया संबंधी नि:शक्तता-7, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित-8, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)-9)

10. अभ्यर्थी के प्राप्तांक का विवरण

परीक्षा	बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	अनुक्रमांक	समस्त विषयों के नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक
हाईस्कूल						
इंटरमीडिएट						
बी.ए./बीएस-सी/बी.काम. अथवा विधि द्वारा स्थापित वि.वि. से कोई अन्य स्नातक डिग्री						

11. हाईस्कूल/इंटरमीडिएट स्तर पर अतिरिक्त विषय (उर्दू) का विवरण

क्र. सं.	परीक्षा	बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	अनुक्रमांक	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1.	हाईस्कूल						
2.	इंटरमीडिएट						

12. उर्दू प्रवीणता संबंधित परीक्षा का विवरण

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक
1.	अदीब, जामिया उर्दू अलीगढ़					
2.	अदीब-ए-माहिर, जामिया उर्दू अलीगढ़					

13. बैंक ड्राफ्ट का विवरण-

बैंक एवं शाखा का नाम	बैंक ड्राफ्ट नं. तथा दिनांक	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि

घोषणा

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण सत्य है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरांत कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर संबंधित संस्थान/प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन-पत्र के क्रमांक 1 से 12 तक अंकित सूचनाओं से संबंधित मूल प्रमाणपत्र/अंकपत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्रेषित करने की दिनांक के बाद का कोई भी प्रमाणपत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करने पर उसको अमान्य करने/विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाए।

दिनांक-

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का हस्ताक्षर

गृह जनपद का नाम..................

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम.....

K-114243